कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर
कार्यालय –आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक प.9 (2) शिक्षा–5/05 दिनांक 16.03.2011 व 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11–12 दिनांक 18.03.2011 व 25.04.2011 के अनुपालना में निम्नलिखित संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमौन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्देष्ठि शर्तो व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है :–

1– राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम –1993 के परिशिष्ट –2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तो की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ– पत्र के अनुसार सभी शर्ते पूर्ति करती है

2– संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें ।

3– संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकेगें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

4– संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2011 –12 से क्रमौन्नत की जावेगी, क्रमौन्न प्रथम सत्र में कक्षा –6 में, सत्र 2012 –13 में कक्षा –7 में एवं सत्र 2013–14 में कक्षा –8 प्रारम्भ की जावेगी ।

5– कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेंगे ।

6– भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा ।

7– दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करेगें ।

8– कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें ।

9– शिक्षा से वंचित परिक्षैत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10– शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण –पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

11–माननीय न्यायालय के पूर्वानुमति के शिक्षा सत्र 2011–12 में शुल्क वृद्धि नही करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा । यदि कोई शुल्क बढा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा ।

12–अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें ।

13–शिक्षा अधिकार नियम 2010 के प्रावधानुसार छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा ।

14–हाईटेंशन लाईन एवं मोबाइल टॉवर विद्यालय भवन में नहीं लगाया जावे।

15–बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत धारा 19 व 25 विद्यालय के लिये (मान और मानक) की पालना एक वर्ष में कर अवगत कराना होगा अन्यथा मान्यता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

16–निदेशालय एवं राज्य सरकार से समय–समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा मान्यता रद्द करदी जायेगी ।

17–...

क्र.सं.	नाम संस्था मय पता	क्रमो. का स्तर	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	आशियाना चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, 313/4 एच.आर.ए. कालोनी, चार दरवाजा, बाहर जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
2.	देव नेशनल एकेडमी, 13 ए. विजयपुरा, शिवा नगर, आगरा रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
3.	प्रेम पाठशाला, झाग, दूदू , जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
4.	एम.बी.एम. विद्यालय, अचरोल, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
5.	विकास पब्लिक स्कूल, कान्यावास, जयरामपुरा, जाहोता, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
6	सेन्ट टेगौर एकेडमी, महेशपुरा, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
7	सरस्वती बाल मन्दिर, तामडिया, चाकसू जयपुर		

क्र. सं.	नाम संस्था मय पता	क्रमो. का स्तर	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
8.	शिवम पब्लिक शिक्षण संस्थान, प्लाट नं. 2, मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
9.	कला विद्या पीठ, छान्देल कलां, चाकसू, जिला–जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
10.	आदित्य विद्या मंदिर, झोल, जमवारामगढ़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
11.	शिवा पब्लिक स्कूल, 553 चांदी की टकसाल, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
12.	भाखर बाल विद्या मन्दिर, बालाजी कालोनी, बगरू, प.स.–सांगानेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
13.	गुरूकुल विद्यापीठ, निमेड़ा, फागी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
14.	मीरा चिल्ड्रन एकेडमी, बोराज, दूदू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
15.	एम.के. पब्लिक स्कूल, नींदड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
16.	दिगन्तर विद्यालय, खोनागोरियान रोड, भावगढ़ बंध्या, गोनेर रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
17.	जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, प्लाट नं. 13 सेक्टर 28, प्रताप नगर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
18.	ज्योतिर्विनोद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोथून, चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
19.	नर्बदा बाल भारती स्कूल, सावरदा, दूदू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
20.	शिव विद्या मन्दिर, न्यू कॉलोनी, गरूड़ वासी रोड चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
21.	रामदास पब्लिक स्कूल, सीतारामजी का मन्दिर, गोनेर रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
22.	वात्सल्य शिक्षा निकेतन, बोल्यावाला, अचरोल, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।

क्रमांकः जिशिअ/जय/प्राशि/सा–1/फा– /मान्यता/11–12/956-77 दिनांक 30/8/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप –5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर ।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था सचिव वात्सल्य शिक्षा निकेतन, बोल्यावाला, अचरोल, आमेर, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।